उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1252/VII-1/2018/19 ख/10
देहरादूनःदिनांकः 03 जून; 2018
जुलाई

## कार्यालय ज्ञाप

जनपद पिथौरागढ़, तहसील गणाई गंगोली के ग्राम दाणू एवं ओलिया गांव के क्षेत्रान्तर्गत कुल 3.255 है० भूमि में सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने हेतु आवेदक श्री ठाकुर सिंह डसीला पुत्र श्री शेर सिंह डसीला, ग्राम बासीखेत, पो० देवराडी पन्त, पिथौरागढ़ के आवेदन पत्र दिनांक 24.6.2016 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1152/VII-1/19–ख/2010, दिनांक 21 जुलाई, 2016 द्वारा श्री ठाकुर सिंह डसीला पुत्र श्री शेर सिंह डसीला, ग्राम बासीखेत, पो० देवराडी पन्त, पिथौरागढ़ के पक्ष में जनपद पिथौरागढ़, तहसील गणाई गंगोली के ग्राम दाणू एवं ओलिया गांव में आवेदित भूमि 3.255 है० भूमि के सापेक्ष राज्य सरकार की भूमि 1.524 है० है, जो आवेदित क्षेत्रान्तर्गत राज्य सरकार की भूमि से 25 प्रतिशत से अधिक है, में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर–5(क) के अनुसार राज्य सरकार की भूमि में 25 प्रतिशत की सीमा तक एवं निजी आवेदित भूमि में 25 वर्ष की अवधि हेतु सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया गया।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–244/मु०ख०/47/पिथौ०/खनन/2010–11, दिनांक 02 मई, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में श्री ठाकुर सिंह डसीला पुत्र श्री शेर सिंह डसीला, ग्राम बासीखेत, पो० देवराडी पन्त, पिथौरागढ़ के पक्ष में सोपस्टोन के खनन पट्टा हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.7.2016 द्वारा स्वीकृत आशय पत्र की अनुपालना में लगभग 15 माह के विलम्ब का मर्षण करते हुए मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका सं० 2502/2016 विनय कुमार अग्रवाल बनाम राज्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन जनपद पिथौरागढ़, तहसील गणाई गंगोली के ग्राम दाणू एवं ओलिया गांव में सीमांकित 2.295 है० भूमि में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित, 2017 के प्रावधानानुसार सोपस्टोन का 25 (पच्चीस) वर्ष की अवधि का खनन पट्टा निम्नवत् स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | उपखनिज का नाम | सोपस्टोन |
| 2 | क्षेत्रफल | जनपद पिथौरागढ़, तहसील गणाई गंगोली के ग्राम दाणू एवं ओलियागांव में सीमांकित भूमि 2.295 है० एक संहत खण्ड में खसरा विवरण पत्र एवं खसरा मानचित्र के अनुसार उपलब्ध क्षेत्र का भूमि पर वास्तविक सीमाबन्धन खेतवार एवं खसरावार क्षेत्र के आधार पर निर्धारित। |
| 3 | अवधि | खनन पट्टा के पंजीयन की तिथि से 25 वर्ष |
| 4 | अपरिहार्य भाटक | उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के द्वितीय अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार। |
| 5 | स्वामित्व (रायल्टी) | उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रथम अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार। |
| 6 | अन्य कर | राजकीय नियमानुसार |

**अतिरिक्त शर्तेः**

7.1. शासनादेश के दिनांक से छः माह के भीतर समुचित पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो शासनादेश बिना किसी पूर्व सूचना के ही आवेदन शुल्क जब्त करते हुये प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

7.2 वन विषयक यदि स्वीकृत क्षेत्र का कोई भाग वन भूमि में पाया जाता हो या घोषित होता है, पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

7.3. आवेदक को खनन के दौरान विलेख की शर्तो/खनन नियमों/शासनादेशों/स्थानीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

7.4. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सार्वजनिक उपयोग की भूमि में खनन कार्य निषिद्ध रहेगा।

7.5. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा एवं खनन कार्य से वृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

7.6 आवेदक द्वारा जिला पर्यावरणीय समाघात निर्धारण समिति (DEIAA) द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति सं० 05/DEIAA/2017–18, दिनांक 28 फरवरी, 2018 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

7.7 आवेदक को पट्टा विलेख से पूर्व जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक खनन पट्टा विलेख से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो आवेदक के पक्ष में निर्गत शासनादेश की वैद्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

7.8. प्रश्नगत खनन पट्टे में मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका सं० 2502/2016 विनय कुमार अग्रवाल बनाम राज्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित होने वाला अन्तिम आदेश प्रभावी होगा।

7.9 आवेदक द्वारा अपरिहार्य भाटक की देयता पट्टा विलेख के दिनांक से देय होगी।

7.8 पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य का प्रारम्भ संबंधित भू–स्वामियों की सहमति/अनापत्ति के उपरान्त ही किया जायेगा।

7.9 स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

**आनन्द बर्द्धन**
प्रमुख सचिव

**संख्याः** 1252 **(1)/VII-1/2018 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. श्री ठाकुर सिंह डसीला पुत्र श्री शेर सिंह डसीला, ग्राम बासीखेत, पो० देवराडी पन्त, पिथौरागढ़ को उक्तानुसार खनन पट्टा विलेख निष्पादन हेतु नियमानुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के माध्यम से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(गरिमा रौंकली)**
संयुक्त सचिव